भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3169
दिनांक 07 अगस्त 2025

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में संलग्न निजी कंपनियाँ

†3169. **श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में निजी कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में संलग्न हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में पेट्रोलियम तेल के उत्पादन में संलग्न निजी कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और उन्हें किन नियमों और मानदंडों का पालन करना होता है;
(घ) क्या उनके कर्मचारी जीवन सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या निजी कंपनियां सामाजिक विकास के लिए सीएसआर के रूप में धनराशि दे रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) असम में पेट्रोलियम तेल के उत्पादन में संलग्न निजी कंपनियों के नाम क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ख) पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल की रिफाइनिंग प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। देश में 22 रिफाइनरियां हैं, जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 03 निजी क्षेत्र में हैं और 01 संयुक्त उद्यम में है।

(ग) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) उद्योग में 15 से भी अधिक निजी कंपनियां कार्यरत हैं। तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन हेतु प्राधिकरण को नियंत्रित करने वाले नियम एवं विनियम मुख्यतः तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 हैं, जिन्हें पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी आदि जैसी सांविधिक मंजूरियों के साथ ही यथासमय संशोधित किया जाता है।

(घ) पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी कंपनियों को कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मानकों के नियमों, विनियमों तथा आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। ओआईएसडी अनुपालन का आकलन करने हेतु, सुरक्षा अभ्यासों की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा भी करता है।

(ङ) कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप करती हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास एक सीएसआर डेटा पोर्टल है, जिसमें एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दर्ज सीएसआर से संबंधित पूरा डेटा www.csr.gov.in पर उपलब्ध है।

(च) डीजीएच के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, असम राज्य में चार निजी कंपनियां अर्थात वेदांता लिमिटेड, ऑयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और असम कंपनी इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम तेल का उत्पादन कर रही हैं।

*****